न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया (गिरिडीह)।

पी० रफाक वगैरह ....प्रथम पक्ष

बनाम

ईदू मियाँ वगैरह ....द्वितीय पक्ष

वाद संख्या 86/21 धारा 144 द० प्र० सं०

अनुसूची-14 फारम 10 562

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश सं० क ता० .... से .... तक

जिला .... सं० .... सन 20........

केस का प्रकार..

आदेश की क्रम सं० और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
23/06/21	धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही / ~~नोटिस~~ स्थानीय पुलिस सरिया थाना से प्राप्त प्रतिवेदन, जिसे पुलिस निरीक्षक द्वारा अग्रसारित किया गया है, के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों में भूमि से संबंधित विवाद के कारण उभय पक्षों के बीच शांति-भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति-भंग, खून-खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है। इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द०प्र०सं० के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है साथ ही उभय पक्षों से दिनांक 8/7 /2021 के कारण-पृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय। विवादग्रस्त भूमि का विवरण मौजा - मन्दरामों, थाना - सरिया, जिला - गिरिडीह (1) खाता सं० - 168 प्लॉट सं० - 1470 रकबा - 03 डी० चौहद्दी उ० - सनोध कोल्हा, द० रेवा कोल्हा, पू० बुटा कोल्हा प० - मेगर कोल्हा (2) प्लॉट सं० - 1474 रकबा - 04 डी० चौहद्दी उ० - रास्ता द० - निहाल खुर्जी, पू० - रेवा कोल्हा, प० - सनोध कोल्हा लेखापित ह० 23/06/21 अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया ह० 23/06/21 अनु० दण्डा० बगोदर - सरिया	

C.C. Issued 23/06/2021 P.O. ...

(2)

आदेश की क्रम स0 और तारिख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारिख सहित
1	2	3
08/07/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष अगली तिथि तक कारण पृच्छा दाखिल करें। 22/7/21 को रखें। [signature] 8/7/21	
22.07.2021	~~प्रथम पक्ष अनुपस्थित।~~ ~~द्वितीय पक्ष उपस्थित।~~ To 5/08/21. [signature] 22/7	
05/08/21	उभय पक्ष उपस्थित। प्रथम पक्ष द्वारा S/C दाखिल। To 12/08/21 [signature] 5/08	
12/08/21	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया है। अभिलेख 19/08/21 को रखें। अंकु प्रधा.	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19/08/21	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष अनुपस्थित। पूर्व तारीख वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। आवेदक के अनुसार मौजा - मन्दरामो, थाना- सरिया के अन्तर्गत खाता - 168, प्लाट सं0 - 1474 रकबा - 4 डी. एवं प्लाट नं0 - 1470 रकबा 03 डी. उनके परदादा मंगर गोप्ता के नाम से खतियान में कब्जाधारी दर्ज है। प्रथम पक्ष के लोग अपने हिस्से पर ईंट से चाहरदिवारी लगभग 5 फीट तक बनाये हुये हैं। दिनांक 02.05.2021 को द्वितीय पक्ष के लोग चाहरदिवारी गिराने लगे। साथ ही द्वितीय पक्ष के लोग प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन बेच देते हैं। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में खतियान की छाया प्रति एवं वर्ष 2007-2008 का राजस्व लगान रसीद दाखिल किया गया है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष के अनुसार उनका घर मेन रोड से 17 फीट अंदर बना हुआ है। लगभग तीस सालों से उस मकान में रह रहे हैं। काफी समय से वह जमीन	

आदेश की क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	खाली पड़ा हुआ था। उक्त भूमि रैयत से रास्ता के उद्देश्य से पंजीकृत केवाला से द्वितीय पक्ष द्वारा क्रय किया गया है। क्रय करने के पश्चात् अंचल कार्यालय से नामांतरण भी द्वितीय पक्ष के पक्ष में हो गया है। अतः प्रथम पक्ष को प्रक्रिया की भूमि पर कोई दावा करने का आधार नहीं बनता है तथा रास्ता को जारी रखने के लिये प्रथम पक्ष को प्रतिबन्धित करने की आवश्यकता है। थाना प्रभारी, सरिया से जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार, विवादित स्थल प्रथम पक्ष की खतियानी जमीन है। उक्त जमीन पर प्रथम पक्ष पूर्व से ही दीवाल देकर खेती-बारी करते आ रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पक्ष के सहयोगगण प्रथम पक्ष के हिस्सेदार से विवादित स्थल पर निकासी हेतु जमीन खरीद लिये हैं तथा प्रथम पक्ष के रास्ता को भी बाधित कर रहे हैं। द्वितीय पक्ष द्वारा दाखिल विक्रय पत्र का अवलोकन किया। विक्रय पत्र में संलग्न वंशावली के अनुसार, उभय	

आ०प० का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

पक्ष एक ही खतियानी रैयत के वंशज हैं। खतियानी रैयत के वंशज कुछ सदस्यगणों द्वारा प्रक्रिया की भूमि बेचा गया है। फलतः हिस्से एवं बंटवारा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और इस वाद का कारण बना।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाद खतियानी रैयत के वंशजों के बीच हिस्से को लेकर विवाद है, जिसका निष्पादन सक्षम न्यायालय में ही हो सकता है। परन्तु यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी भी पक्ष का रास्ता बाधित नहीं हो। इस संबंध में यदि उभय पक्ष चाहे तो द.प्र.स. के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत वाद दायर कर सकते हैं।

वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

19/08/21
SDM

C.C. Issued 23/09/2021

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2021.10.05 13:16:47 +05:30
Location: 192.168.43.238